यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** के माह 11.2015 से 01.2018 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 19.02.2018 से 07.03.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.11.2015 से 16.11.2015 तक श्री सुनील कुमार कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10.2014 से 10.2015 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त टिहरी गढ़वाल जनपद आता है। जनपद में खाद्यान/चीनी, संबन्धित योजनाओ के अंतर्गत, पंजीकृत परिवारों को राशन एवं मिट्टी का तेल का वितरण एवं monitoring की जाती है, जो कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

foRrh; o"kZ	LFkkiuk ¼2408½		xSj LFkkiuk ¼4408½		dqy vkoaVu	dqy O;;	vf/kD;	cpr
	vkoaVr /kujkf'k	O;; /kujkf'k	vkoaVr /kujkf'k	O;; /kujkf'k				
2013-14	176.27	174.56	50.00	28.00	226.27	202.56	…	23.71
2014-15	212.28	174.87	37.08	17.84	249.36	192.71	…	56.65
2015-16	159.31	157.21	24.11	19.02	183.42	176.23	…	7.19
2016-17	210.15	179.10	257.00	247.37	467.15	426.47	…	40.68
2017-18 (till the month 01.2018)	258.24	146.77	150.00	0.00	408.24	146.77	…	261.47

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ: (क) केंद्रान्श (ख) राज्यांश (ग) अन्य प्राप्तियाँ			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

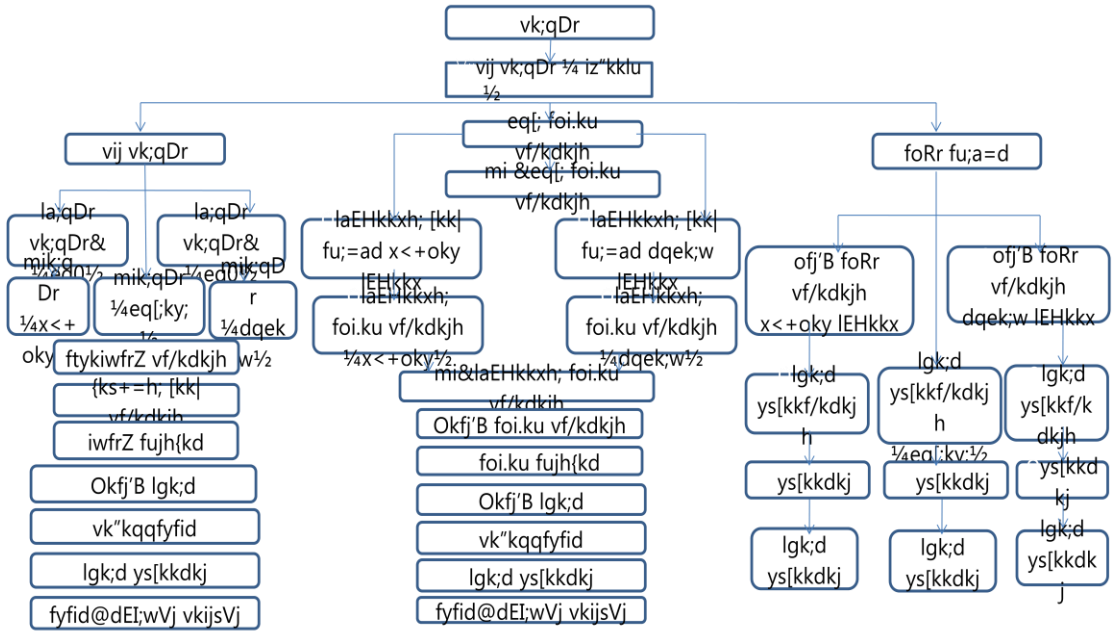

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 11.2015 से 01.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2017 एवं 08.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर- 1:- धनराशि रु 1.67 लाख के यात्रा बिलों के भुगतान में नियमों की अनदेखी किया जाना।

Bill for travelling allowance - No bill for travelling allowance of a gazetted government employee shall be signed and paid unless the drawing and disbursing officer is satisfied that before undertaking the journey the gazetted officer has got his detailed tour programmed approved from the respective Controlling Officer. आगे, सरकारी धन के सुचारु एवं अल्पतम व्यय के दृष्टिगत किसी सरकारी कार्य हेतु किसी अधिकारी/ कर्मचारी को दौरे पर भेजने से पूर्व "प्रस्थान से लेकर आगमन तक का") दौरा कार्यक्रम

(Tour Programme)/ अस्थाई दौरा कार्यक्रम (Tentative Tour Programme) का अनुमोदन होना चाहिए, ताकि अधिकारी/ कर्मचारी की दौरे के दौरान उसके अद्यतन कार्य-स्थल का समुचित निगरानी रखी जा सके एवं बिल भुगतान के समय संबन्धित द्वारा प्रस्तुत टी.ए. बिल को दौरा कार्यक्रम (Tour Programme) के अनुसार ही भुगतानित किया जा सके।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के अवधि 11.2015 से 01.2018 के टी.ए. बिलों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि कार्यालय मे निम्नलिखित विवरण के कुल धनराशि रु 1,69,208/- के टी.ए. बिलों मे यात्रा से पूर्व संबन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का न तो Tentative Tour Programme संलग्न पाया गया था एवं न ही दौरे के पश्चात कार्यालय द्वारा अनुमोदित Revised Tour Programme संलग्न पाया गया था। विवरण:-

Payment of TA bills during the period of **month 11.2015 to 01.2018 :**

S. N.	Name & desihnation (Shri/Ms)	Tour Period	Amount Paid (Rs)
1	MR. RAVINDRA RANA JUNIOR ASSISTANT	23.09.2015 TO 02.02.2016	3166
2	MR. AMIT BHANDARI JUNIOR ASSISTANT	03.09.15 TO 08.06.2016	5168
3	MR. MANOJ BARTHWAL, SUPPLY INSPECTOR	27.11.2015 TO 19.02.2016	4728
4	MR. MANOJ KUMAR, SUPPLY INSPECTOR	01.08.15 TO 31.08.2015	1777
5	MR. MANOJ KUMAR, SUPPLY INSPECTOR	03.11.2015 TO 28.11.2015	1950
6	MR. MANOJ KUMAR, SUPPLY INSPECTOR	01.09.2015 TO 30.09.2015	914
7	MR. MANOJ KUMAR, SUPPLY INSPECTOR	03.10.2015 TO 15.10.2015	1290
8	MR. MANOJ KUMAR, SUPPLY INSPECTOR	04.12.2015 TO 17.12.2015	890
9	MR. MANOJ KUMAR, SUPPLY INSPECTOR	15.02.2016 TO 15.02.2016	330
10	MR. MANOJ KUMAR, SUPPLY INSPECTOR	03.03.2016 TO 04.03.2016	430
11	MR. SUNEEL PRASAD, SUPPLY INSPECTOR	15.02.2016 TO 14.03.2016	1546
12	MR. SUNEEL PRASAD, SUPPLY INSPECTOR	23.08.2016 TO 07.10.2016	2336
13	MR. SUNEEL PRASAD, SUPPLY INSPECTOR	03.11.2016 TO 03.02.2016	2552
14	MR. SANTOSH KUMAR BHATT, SUPPLY INSPECTOR	28.07.2015 TO 03.02.2016	4534
15	MR INDRESH NAUTIYAL, JUNIOR ASSISTANT	03.09.2015 TO 08.06.2016	4218
16	MR DHEERENDRA PETWAL, JUNIOR ASSISTANT	26.08.2015 TO 15.07.2016	3824
17	MR. SHAH ALAM, class iv	29.07.2016 TO 30.07.2016	713
18	MR. KISHAN SINGH BHANDARI, ARO	03.08.2015 TO 04.12.2015	3505
19	MR. DABBAL SINGH BISH, JUNIOR ASSISTANT	27.02.2016 TO 14.06.2016	1434
20	MR. KISHAN SINGH BHANDARI, ARO	03.01.2016 TO 04.07.2016	1974
21	MR. RAVINDRA SINGH GUSAIN, SUPPLY INSPECTOR	03.10.2015 TO 04.03.2016	6126
22	MR SUNEEL PRASAD, SUPPLY INSPECTOR	01.04.2016 TO 05.08.2016	3943
23	MS. POONAM RAWAT, SUPPLY INSPECTOR	04.10.2015 TO 12.03.2016	5652
24	MR MANOJ SINGH BARTHWAL, SUPPLY INSPECTOR	07.04.2016 TO 31.12.2016	7240
25	MR. RAVINDRA RANA JUNIOR ASSISTANT	04.10.2016 TO 22.03.2017	6180
26	MR. BACHAN SINGH PARMAR, SUPPLY INSPECTOR	03.04.2016 TO 04.11.2016	10350
27	MR. AMIT BHANDARI JUNIOR ASSISTANT	29.09.2016 TO 20.03.2017	6052
28	MR. KISHAN SINGH BHANDARI, ARO	02.04.2016 TO 04.07.2016	5284
29	MR. DABBAL SINGH BISH, JUNIOR ASSISTANT	13.06.2016 TO 28.01.2017	1478
30	MR INDRESH NAUTIYAL, JUNIOR ASSISTANT	06.07.2016 TO 07.03.2017	3242
31	MR. YOGENDRA PAL PARMAR, SUPPLY INSPECTOR	06.04.2016 TO 18.03.2017	4576
32	MR SUNEEL PRASAD, SUPPLY INSPECTOR	15.12.2016 TO 19.02.2017	8165
33	MS. POONAM RAWAT, SUPPLY INSPECTOR	04.04.2016 TO 03.03.2017	5762

34	MR DEVENDRA SINGH NEGI, SUPPLY INSPECTOR	04.04.2016 TO 16.03.2017	8116
35	MR. ALAM SINGH PUNDIR, ARO	04.04.2016 TO 03.03.2017	4314
36	MR. SATYA LAL, SUPPLY INSPECTOR	04.04.2016 TO 23.03.2017	14568
37	MR. SANTOSH KUMAR BHATT, SUPPLY INSPECTOR	04.04.2016 TO 03.11.2016	7960
38	MR. MANOJ KUMAR, SUPPLY INSPECTOR	04.04.2016 TO 20.09.2016	7819
39	MR. RAVINDRA GUSAIN, SUPPY INSPECTOR	04.04.2016 TO 10.09.2016	5102
		Total=	**169208**

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "लेखापरीक्षा के निर्देशानुसार भविष्य में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी"I उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि "Before undertaking the journey the gazetted officer has got his detailed tour programmed approved from the respective Controlling Officer" संबन्धित दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था।

अतः धनराशि रु 1.69 लाख के यात्रा बिलों के भुगतान में नियमों की अनदेखी किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग- दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>- 2:- धनराशि रु 4.07 लाख की वसूली का लम्बित होना।

जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा रिवोल्विंग फंड के अंतर्गत कार्डों का मुद्रण कराकर संबन्धित इकाइयों को वितरित किया जाता है एवं उनसे वितरित किए गए कार्डों का मूल्य वसूल कर रिवोल्विंग फंड (SBI A/c No. 1084 0565 017) में जमा करना होता है। जिला पूर्ति अधिकारी के रिवोल्विंग फंड (SBI A/c No. 1084 0565 017) में दिनांक 27.02.2018 की तिथि में धनराशि रु 9,52,758/- अंतिम अवशेष पायी गई। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा चार प्रकार के राशन कार्ड "NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा), BPL, AAY (अंत्योदय) एवं SFY (राज्य खाद्य योजना)" मुद्रित कराकर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य क्रमशः रु 5/-, रु 5/-, 5/- एवं रु 10/- की दर से ब्लाकों एवं नगरीय क्षेत्र को उपभोक्ताओं को जारी करने हेतु निर्गत किए जाते हैं। ब्लाकों एवं नगरीय क्षेत्र को जारी किए गए कार्डों का मूल्य उनसे प्राप्त कर रिवोल्विंग फंड में जमा करना होता है **<u>एवं</u>** वित्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के नियम– 26 अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "Government servants receiving money of behalf of the Government, should be entered in the receipt. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amount has been **entered in the cash-book**.

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि दिनांक 12.09.2014 से दिनांक 15.02.2018 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों को "NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा), BPL, AAY (अंत्योदय) एवं SFY (राज्य खाद्य योजना)" के क्रमशः 34874, 25192, 23963 एवं 64765

कार्ड निर्गत किए गए थे, जिनका मूल्य रु 10,67,795/- था। इसके सापेक्ष संबन्धित ग्रामीण क्षेत्रों से रु 7,30,825/- ही प्राप्त किए गए थे, शेष रु **3,36,970/-** की धनराशि वसूली 01 माह से 03 वर्ष पिछले व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 01.2018 तक लंबित थी। आगे, दिनांक 12.09.2014 से दिनांक 07.02.2018 की अवधि में शहरी क्षेत्रों को "NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा), BPL, AAY (अंत्योदय) एवं SFY (राज्य खाद्य योजना)" के क्रमश: 4466, 252, 192 एवं 7134 कार्ड निर्गत किए गए थे, जिनका मूल्य रु 95,890/- था। इसके सापेक्ष संबन्धित शहरी क्षेत्रों से रु 25,735/- ही प्राप्त किए गए थे, शेष रु **70,155/-** की धनराशि वसूली 01 माह से 03 वर्ष पिछले व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 01.2018 तक लंबित थी। अतएव ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से कुल धनराशि रु 4,07,125/- की वसूली लंबित थी। आगे, जांच में यह भी पाया गया की जो धनराशि रु 7,30,825/- (ग्रामीण क्षेत्र) एवं 25,735/- (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त हुयी थी, उक्त धनराशियों को रोकड़-बही में दर्ज नहीं किया गया था, एक साधारण पंजिका में दर्ज किया जा रहा था जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार सरकारी धनराशि का लेखा-जोखा प्रतिदिन रोकड़-बही में दर्ज कर सक्षम-अधिकारी द्वारा सत्यापन कराना चाहिए।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए लम्बित वसूली के सम्बन्ध में कहा कि "*01 माह से 03 वर्ष की अवधि में संबन्धित इकाइयों को उनकी माँग के अनुरूप राशन कार्ड प्रेषित किए गए थे, संबन्धित इकाइयों को धनराशि की वसूली हेतु बार बार पत्र जारी करने के उपरान्त भी कार्यालय को यह भी अवगत नहीं कराया गया कि कितने कार्ड अब तक शेष बचे हुये हैं, अतएव धनराशियों की वसूली वर्तमान तक लंबित है, जिस पर कार्यवाही शिघ्रातिशीघ्र की जायेगी*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि *01 माह से 03 वर्ष* व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशि रु 4,07,125/- की वसूली लम्बित थी एवं विभागीय क्षति से बचाने हेतु धनराशि रु 4,07,125/- की यथाशीघ्र वसूली की जानी चाहिये थी।

अत: धनराशि रु 4.07 लाख की वसूली के लम्बित होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर</u>- 1 :- रु 3.35 करोड़ के व्यय धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में न किया जाना एवं रु 8.21 लाख के वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किया जाना।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे I इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल की रोकड़बही की नमूना जाँच में पाया गया कि चयनित माहों 03.2017, 08.2017 (विस्तृत जाँच) एवं 08.2016, 02.2016 (अंकगणितीय जाँच) में BM- 05 में दर्शित वेतन एवं अन्य विभिन्न मदों की कुल सकल व्यय धनराशि **रू 334,77,508/-** को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था। साथ ही, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माहों में किये गये लेनदेनों के सत्यापन करके संबन्धित प्रमाण-पत्र कोषागार में प्रेषित भी नहीं किए गये थे। विवरण:-

(रु में)

माह	**कुल व्यय सकल धनराशि (Rs.)**	**नेट व्यय धनराशि (Rs.)**
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 03.2017	14311900	14048642
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 08.2017	5613863	503976
व्यय की अंकगणितीय लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 08.2016	10252384	9856570
व्यय की अंकगणितीय लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 02.2016	3299361	3110133
योग=	**334,77,508/-**	**275,19,321/-**

साथ ही, चयनित माहों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यय सकल धनराशि **रुपये 8,21,236/-** की भुगतान के Materials and supplies के वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिस कारण उन वाउचरों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। विवरण:-

दिनांक	**बिल संख्या**	**वाउचर नं०**	**Gross Amt (Rs)**	**नेट व्यय धनराशि (Rs)**	**Remark, if any**
17.03.2017	162	B44080005	320971	320971	Materials and supplies
17.03.2017	120	B44080009	18293	18293	Materials and supplies
27.03.2017	253	B44080067	411080	411080	Materials and supplies
27.03.2017	252	B44080059	70892	70892	Materials and supplies
		Total=	**8,21,236/-**	**8,21,236/-**	

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*भविष्य में शासनादेश का पालन किया जाएगा*" एवं अप्रस्तुत वाउचरों के सम्बन्ध में कहा कि "*अगली लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया जाएगा*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था एवं चयनित माहों के समस्त वाउचरों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

अतः रु 3.35 करोड़ के व्यय सकल धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में न किये जाने एवं रु 8.21 लाख के वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 2:- धनराशि रु 12.12 लाख की प्राप्तियों की प्रविष्टि रोकड़-बही के प्राप्ति पक्ष में न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के नियम– 21 अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "All moneys received by or tendered to government servants in their official capacity shall, without undue delay be paid in full into the treasury or into the bank and shall be included in the government account. Moneys received as aforesaid shall not be appropriated to meet departmental expenditure, nor otherwise kept apart from the government account एवं नियम– 22 के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "The money received on behalf of the Central or other State Government shall be deposited into the Treasury or Bank". एवं नियम-26 के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "Government servants receiving money on behalf of the Government, should be entered in the receipt. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amount has been entered in the cash-book.

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा अवधि माह 11.2015 से 01.2018 की प्राप्तियों से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि माह 11.2015 से 01.2018 तक की अवधि में विभिन्न प्राप्तियों के रूप में कार्यालय को कुल धनराशि रु 12,12,262/- प्राप्त हुई थी। इस धनराशि को रोकड़-बही में दर्ज नहीं किया गया था, जबकि प्राप्तियों को रोकड़-बही के प्राप्ति पक्ष में दर्ज की जानी चाहिए थी। प्राप्तियों को रोकड़-बही में दर्ज न किए जाने के कारण समस्त प्राप्तियों की वास्तविक धनराशि एवं उनको कितनी देरी से कोशागार में जमा किया गया था, ज्ञात नहीं किया जा सका। रोकड़-बही के अद्यतन नहीं किए जाने के कारण रोकड़-बही में प्रत्येक पृष्ठ पर कुल योग, opening, closing एवं मासिक लेखाबन्दी के अभिलेखन की जाँच नहीं की जा सकी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त कुछ धनराशि रु 360/- के मूल भारतीय पोस्टल ऑर्डर कार्यालय में 01 माह से 02 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी मूलत: पाये गये थे। लेखापरीक्षा में उजागर किए जाने पर कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा उक्त धनराशि रु 360/- को दिनांक 27.02.2018 को कोषागार में जमा किया गया। अतएव धनराशियों को कोषागार में जमा करवाने यथाशीघ्र जमा करवाने के सम्बन्ध में कार्यालय की उदासीनता प्रकट प्रकट हुई।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्राप्तियों को देर से जमा करने के सम्बन्ध में कहा कि "***भविष्य में शीघ्र प्राप्तियों को कोषागार में जमा किया जायेगा***" एवं उपरोक्त धनराशि रु 12,12,262/- की रोकड़-बही में प्रविष्टि न होने के सम्बन्ध में कहा कि "***भविष्य में रोकड़-बही में प्रविष्टि की जाएगी***"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लगभग 03 वर्षों (माह 11.2015 से) कुल प्राप्त धनराशि रु 12,12,262/- के अभिलिखन के सम्बन्ध में नियमों का उलंघन किया जा रहा था।

अत: धनराशि रु 12.12 लाख की प्राप्तियों की प्रविष्टि रोकड़-बही के प्राप्ति पक्ष में न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
SS/ AIR- 148/ 2014-15	NIL	1	NIL	NIL
SS/ AIR- 116/ 2015-16	NIL	1	1	1,2,3,4,5

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/ AIR- 148/ 2014-15	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- NIL; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1; **STAN-** NIL; एवं **TAN**- NIL;	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	--
SS/ AIR- 116/ 2015-16	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- NIL; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1; **STAN-** 1; एवं **TAN**- 1, 3;	प्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री के. आर. पठोई	जिला पूर्ति अधिकारी	माह 11.2015 से दिनांक 21.04.2016 तक
श्री वी. के. तिवारी	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 22.04.2016 से 09.06.2016 तक
श्री एल. के. चौहान	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 09.06.2016 से 22.07.2016 तक
श्री के. एस. भण्डारी	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 22.07.2016 से 08.04.2017 तक
श्री देवेंद्र सिंह नेगी	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 08.04.2017 से 15.06.2017 तक
श्री चतर सिंह चौहान	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 16.06.2017 से 07.07.2017 तक
कु. शिल्पी शुक्ला	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 07.07.2017 से 28.09.2017 तक
श्री एस. के. बरनवाल	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 28.09.2017 से 07.12.2017 तक
श्री दिनेश लाल मुयाल	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 07.12.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.